न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 21/2016

बउनवान

बिरधीबाई आयु 65 वर्ष पुत्री किशना जाति–चमार मेघवाली निवासी–देलाहेडी तहसील–अन्ता हाल निवासी कवासपुरा अन्ता वार्ड नं0 13 अन्ता जिला–बारां (राज0) **(अपीलांटा)**

बनाम

1– कालू पुत्र बिशना जाति–चमार मेघवाल निवासी–देलाहेडी (मृतक)
1/1 ओमप्रकाश उम्र 40 वर्ष पुत्र कालू
1/2 जोधराज उम्र 30 वर्ष पुत्र कालू निवासी–देलाहेडी तह0अन्ता
2– कजोडीबाई आयु 75 वर्ष बेवा आनन्दीलाल
3– राजाराम आयु 5 वर्ष पुत्र आननन्दीलाल
4– रामेश्वर आयु 45 वर्ष पुत्र आनन्दीलाल
5– रमेश आयु 42 वर्ष पुत्र आनन्दीलाल
6– बनासबाई आयु 50 वर्ष पुत्री आनन्दीलाल पत्नी रामभरोस जाति–चमार हाल नि0 मेघवाल महोल्ला वार्ड नं0 2 सागोंद जिला–कोटा
7– रामविलासी बाई आयु 45 वर्ष बेवा सुरेश जाति–चमार मेघवाल निवासी–देलाहेडी तहसील–अन्ता जिला–बारां
8– पदमाबाई उम्र 22 वर्ष पुत्री सुरेश पत्नी जगदीश जाति–चमार मेघवाल निवासी–देलाहेडी तहसील–अन्ता
9– राजवीर उम्र 17 वर्ष पुत्र सुरेश नाबालिंग
10–सियाबाई उम्र 15 वर्ष पुत्री सुरेश नाबालिंग
11–नव्या उम्र 13 वर्ष पुत्री सुरेश नाबालिंग जरिये वली माता खुद रामविलासी बाई आयु 45 वर्ष बेवा सुरेश जाति–चमार मेघवाल निवासी–देलाहेडी तहसील–अता जिला बारां
12– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंटस्)**

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 107 दिनांक 05.10.1977 वाके ग्राम–देलाहेडी तहसील–अन्ता अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक **(अपीलांटा)**
2. श्री कृष्णकान्त शर्मा,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट्स)**

निर्णय दिनांक– 27.01.2020

अपीलांटा ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाके ग्राम देल्याहेडी तहसील–अन्ता जमाबन्दी संख्या 2037 से 2040 अनुसार खाता नं0 5 पुराना 44 मे खसरा नम्बर 26, 27, 39, 46, 212, 213, 1214, 215, 221, 222, 225, 5/2, 198/1, 226/1 कुल किता–14 रकबा 52 बीघा 16 बिस्वा स्थित थी जो खातेदार आनन्दया, कालू पिसरान

बिशना कोम चमार सा. देह राजस्व रेकार्ड में अंकित थी जो इन्तकाल नं. 107 में दर्ज हुआ है। लेकिन अपीलांटा बिरधीबाई का नाम दर्ज नहीं किया है। अपीलांटा भी मृतक बिशना पुत्र धूल्या की जायज वारिस है। उक्त आराजियात् के पूर्व खातेदार बिशना पुत्र धूल्या थे। आनन्दया उर्फ आनंदीलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा वर्तमान में आनन्दया उर्फ आनन्दीलाल के जीवित वारिस एवं कायम मुकामान रेस्पों0 क्रम–2 ता 11 है। उक्त आराजीयात् के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 297, 298, 315, 322, 353, 354, 35, 356, 357, 358, 359, 365, 366, 369, 374, 375, 376/501 कुल किता 18 कुल रकबा 10.09 हैक्टर जमाबन्दी सम्वत् 207 से 2075 में अंकित है।

अपीलांटा के पिता बिशना पुत्र धूल्या का स्वर्गवास होने के बाद उक्त आराजी उनके पुत्रों आनन्दया उर्फ आनन्दीलाल, कालू के नाम दर्ज कर दी है जबकि अपीलांट बिरधीबाई भी बिशना की जायन्दा पुत्री है तथा अपने पिता के जीवनकाल से अपने हिस्से 1/3 पर काबिज काश्त मौके पर चली आ रहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल नं0 107 बिना तहकीकात किये खोला गया है जो अवैधानिक एवं गैरकानूनी एवं अवैधानिक होने से काबिल निरस्तनीय है।

इस इन्तकाल नं0 107 दिनांक 5.10.1977 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.06.2016 को पटवारी हल्का से किसान क्रेडिट कार्ड के लिये खाते की नकल लेने हेतु मौखिक निवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा बताने पर कि खाते में तेरा नाम अंकित नहीं है। इस पर अपीलांटा ने उक्त इन्तकाल की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 20.06.2016 को पेश कर नकल इन्तकाल दिनांक 24.06.2016 को प्राप्त की गयी। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की है। धारा–5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 107 दिनांक 05.10.1977 ग्राम देल्याहेडी निरस्त फरमाया जाकर, मृतक बिशना के वारिसान आनन्दया, कालू के साथ अपीलांटा बिरधीबाई के नाम अंकित किये जाने हेतु तहसीलदार, अन्ता को आदेश प्रदान किये जावे।

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व रेस्पोडेंट क्रम–3 अभिभाषक सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांटा के पिता श्री बिशनाजी के ग्राम देल्हाहेडी तहसील–अन्ता के खाता संख्या जमाबन्दी संख्या 2037 से 2040 अनुसार खाता नं0 5 पुराना 44 से खसरा नम्बर 26, 27, 39, 46, 212, 213, 1214, 215, 221, 222, 225, 5/2, 198/1, 226/1 कुल किता–14 रकबा 52 बीघा 16 बिस्वा अवस्थित थी जिसके बाद सेटलमेंट नये नम्बरान् बने है जो वर्तमान में रेस्पोडेंट्स के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा अपीलांटा के पिता बिशना पुत्र धूल्या जी के स्वर्गवास होने के बाद उक्त आराजी उनके पुत्रो आनन्दया उर्फ आनंदीलाल, कालू के नाम दर्ज कर, इन्तकाल नं0 107 दिनांक 05.10.1977 को दर्ज किया गया है, जबकि अपीलांटा बिरधीबाई बिशनाजी की जायन्दा जीवित वारिस है तथा विरासतन आराजी में से 1/3

हिस्सा प्राप्त करने की पूर्णरूपेण कानूनी अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी तहकीकात व जानकारी किये रेस्पोंडेंट्स की मिलीभगत से आनन फानन में दोनो पुत्रों के नाम हीं फौती इन्तकाल खोला है। जबकि अपीलांट मृतक बिशनजी की वैधानिक पुत्री है। अपीलांटा अपने हक व हिस्से की आराजी पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त इन्तकाल तस्दीक किया है, जो अवैधानिक व नियमों को प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर, उक्त तस्दीकी इन्तकाल नं0 107 दिनांक 5.10. 1977 निरस्त फरमाया जाकर, मृतक बिशना के वारिसान में आनन्दया, कालू के साथ अपीलांटा का नाम भी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

इसके विपरीत विद्वान रेस्पोडेंट अभिभाषक क्रम–3 ने अपीलांटा अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त फौती इन्तकाल दिनांक 05.10.1977 को खोला गया है जबकि अपीलांटा ने उक्त अपील लगभग 42 वर्ष पश्चात् पेश की है। इसके बाद राजस्व रेकार्ड में आनन्दीलाल के वारिसान् व कायम मुकामान रेकार्ड पर आ चुके है तथा सभी अपने–अपने हक व हिस्से पर बदस्तूर काबिज काश्त है। अपीलांटा ने उक्त अपील मियाद बाहर पेश की है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व रेस्पोडेंट क्रम–3 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। जिससे पाया जाता है कि अपीलांटा द्वारा हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 107 तस्दीकी दिनांक 05.10.1977 वाके ग्राम देल्याहेडी तहसील–अन्ता से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गयी है। अपीलांटा का अपील में मत रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वर्णित आराजियात् का फौती इन्तकाल मृतक बिशनाजी के पुत्रो के नाम खोला है, जबकि अपीलांटा बिरधीबाई मृतक की जायन्दा वैधानिक वारिस है, इसलिये उक्त इन्तकाल को निरस्त कर, उसका नाम भी इन्तकाल में दर्ज किया जावे। जबकि रेस्पोंडेंट अभिभाषक का कथन है कि अपीलांटा ने अपील मियाद बाहर पेश की है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट ने हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 107 दिनांक 05.10.1977 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अपीलांटा ने अपील को विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में धारा–5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थनापत्र में जो कारण प्रस्तुत किये है, उचित व क्षम्य योग्य प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांटा ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है।

परिणामस्वरूप अपीलांटा की अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.02.06 11:17:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: